न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–40 / 19

1. श्री प्यारा पिता फकीरा जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

— वादी

वनाम

1. श्री भेरूलाल पिता गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्री गोपाल पिता गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. जसोदा पुत्री गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
4. भगवानी बाई पत्नी गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
5. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 7 आदेश 11 सी.पी.सी.

उपस्थितः– श्री अंकित पालीवाल– अभिभाषक वादी

श्री आशीष शर्मा– अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 29.07.2021

1. वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा वरेखन पटवार हल्का गागरोल तहसील छोटीसादड़ी की आराजी संख्या 26 रकवा 0.12 हैक्ट0 आराजी संख्या 28 रकबा 0.84 हैक्ट आराजी संख्या 29 रकवा 0.03 हैक्ट आराजी संख्या31 रकवा 0.93 हैक्ट0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.92 हैक्ट0 पूर्व में उकार जी के नाम दर्ज रेकार्ड थी उंकार जी के देहान्त के बाद जिनके वारिसान भुरा एवं फकीरा थे भुरा का भी स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान गणेश है जिसका भी देहान्त हो गया है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ले

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्याः—40 / 2019

1. श्री प्यारा पिता फकीरा जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0

—— वादी

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
2. श्री गोपाल पिता गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
3. जसोदा पुत्री गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
4. भगवानी बाई पत्नी गणेश जाति मेघवाल निवासी गोठडा तहसील छोटीसादड़ी जिला—प्रतापगढ़ राज0
5. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88—188—209 आर.टी. एक्ट 1955

दिनांकः—29.07.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालीवाल मिनजानिब मुदइ व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री आशीष शर्मा मिनजानिब मुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला — प्रतापगढ़ (राज0)

लगायत 4 है। वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा भुरा एवं 1/2 हिस्सा फकीरा का था फकीरा का भी देहान्त हो गया है जिनका वारिसान प्यारा वादी है। उंकार जी के देहान्त के बाद केवल भुरा का नाम दर्ज हो गया था तथा भुरा के देहान्त के बाद 1/2 हिस्सा प्यारा तथा 1/2 हिस्सा गणेश पिता का नाम भुरा दर्ज हो गया जबकि प्यारा के पिता का नाम फकीरा है अतः जिसे दुसस्तीकरण किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन सुचित किया गय प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रतिवादी ने बताया कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के बिच समझोता हो गया है तथा राजीनामा होने के बाद भी वादी न्यायालय में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खरीज किया जावें। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित सारे कथन को अस्वीकार किया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न समझोता पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें वादी ने स्वयं यह बात स्वीकार की की भुरालाल जी के विरासत के नामान्तकरण में मेने अपना नाम गणेश के भाई के रूप में दर्ज करवा लिया है जबकि मेरे पिता का नाम फकीरा है उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी का वाद सारहीन होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

4. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़

वाद के खर्चे

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा	01		1 स्टाम्प आराजी दावा		
2 स्टाम्प वकालात नामा	02		2 स्टाम्प वकालात नामा		
3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			4 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
5............ रूपये पर प्लीडर की फीस			5.......... रूपये पर प्लीडर की फीस		
6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय			6 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		
7 कमिश्नर की फीस			7 कमिश्नर की फीस		
8 आदेशिका की तामिल			8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़ (राज0)